न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 69/22 GCMS NO 2023/11

1. अधिशासी अभियंता सिचाई विभाग करौली जिला करौली
2. सहायक अभियंता सिचाई विभाग करौली जरिये अधिकृत प्रभारी अधिकारी शिवराम मीना सहायक अभियंता उपखण्ड हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. चेतराम उर्फ पप्पू
2. महेश
3. दिनेश
4. छिंगा पिसरान स्व0लक्ष्मण
5. दामोदर
6. छोटेलाल पिसरान स्व0रामखिलाडी
7. श्याम
8. हुलासी
9. ओमी
10. रूरमल पिसरान स्व0कलुआ सभी जातियान माली निवासीयान माली पाडा केशवपुरा,हिण्डोन सिटी जिला करौली
11. जिला कलेक्टर करौली
12. तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/15 निर्णय दिनांक 12.8.22 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री ईश्वर सोनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री संजय शर्मा

दिनांक 14.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.8.22 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायलान/रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान रूग्गा पुत्र धूडया जाति माली निवासी मालीपाडा,केशवपुरा हिण्डौन की संतति हे। जिसमे सजरा खानदान अनुसार रूग्गा पुत्र धूडया(फौत) के एक लडका कुलआ(फौत) के 6 लडके लक्ष्मण(फौत) रामखिलाडी(फौत) श्याम ,हुलासी,ओमी,रूरमल है तथा [illegible] के चार लडके चेतराम उर्फ पप्पू,महेश,दिनेश,छंगा है तथा रामखिलाडी (फौत) के [illegible] दामोदर व छोटेलाल है। कृषि भूमि साबिक ख0न0 3867 रकबा 4 बी[illegible] 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन मे स्थित है। यह भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र धूडया के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि महकमा जिलेदारी मे थी जो माफिक हुक्म तारीख 3.5.45 माफिक कैफियत निजामत दिनांक 30.3.46 के अनुसार ख0न0 3867 तथा ख0न0 3877, 35/—रूपये फी बीघा नजराने पर सायलान के पूर्वज रूग्गा की खातेदारी मे रही है। जिसका राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2000,2001,2002 के कॉलम संख्या 8 के अनुसार सायलान के पूर्वज रूग्गा के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। सायलान के पूर्वज रूग्गा ने नजराना राशि तहसील हिण्डौन मे जमा कराई है। राजस्व रिकार्ड गिरदावरी सम्वत 2012 से 2019 तक मे भी सायलान के पूर्वज रूग्गा का नाम दर्ज है तथा उससे पूर्व सम्वत 2000,2001,2002 मुताबिक सन 1943 से 1946 मे सायलान के पूर्वज रूग्गा खातेदार दर्ज है तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2013—16 तथा जमाबंदी सम्वत2017—20 के अनुसार सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र धूडया निवासी हिण्डौन की खातेदारी मे दर्ज होती चली आ रही है। इस प्रकार विवादित भूमि पर सायलान के पूर्वज रूग्गा सन 1947 के पूर्व से मुश्तकिल तौर पर खातेदार काश्तकार रहे है। जिस पर सायलान के पूर्वज रूग्गा ने निर्माण कर रखा है। जिसमे सायलान अपने पूर्वज रूग्गा के जमाने से रिहायश करते चले आ रहे है। जिसमे सायलान के नाम से बिजली कनेक्शन भी लगा हुआ है। उक्त भूमि कभी भी पानी के भराव मे नही रही और ना ही कोई पेटा तालाबी रही। बल्कि हमेशा से काश्कारी की भूमि रही है। जिसे सायलान ने अपने पूर्वजो के जमाने से लगातार रूप से गैरसायलान की जानकारी मे काश्त करते चले आ रहे है। जिसका सायलान हर वर्ष लगान अदा करते चले आ रहे है। सायलान का पूर्वज रूग्गा फौत हो चुका है जिसका लडका कलुआ सन 1985 के आस पास फौत हो चुका है उसका लडका लक्ष्मण सन 2000 के आसपास फौत हो चुका है जिसके कानूनी वारिस सायल न0 1 ता 4 है कलुआ का दूसरा लडका रामखिलाडी दिनांक 14.3.13 को फौत हो चुका है जिसके कानूनी वारिस सायल न0 5 व 6 है तथा कलुआ के अन्य वारिसान सायल न0 7 ता 10 है। जमाबंदी सम्वत 2017—2020 तक के राजस्व रिकार्ड मे सिचाई विभाग का रकबा 269 बीघा 10 विस्वा था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने एक्जिस्टिंग इन्द्राज मे अनाधिकृत रूप से पोशीदा तरीके से सायलान के कब्जा काश्त की भूमि से सायलान के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दी गई तथा सिचाई विभाग का रिकार्ड 269 बीघा 10 विस्वा से बढाकार जमाबंदी सम्वत 2021—24 तक के राजस्व रिकार्ड मे 538 बीघा 17 विस्वा दर्ज कर दिया गया। जिसमे सायलान की खातेदारी की भूमि ख0न0 3867 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा तथा ख0न0 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा सायलान की खातेदारी से हटाकर सिचाई विभाग की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। जिससे सायलान के हक हकूको पर तलफी होती है तथा सायलान के अधिकारो का हनन होता है। बन्दोबस्त द्वारा आराजीयात ख0न0 3867 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा तथा ख0न0 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा के नवीन ख0न0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 4813 तथा [illegible] कर दिये और किस्म जमीन पेटा तलाई दर्ज कर दी गई जबकि इस भूमि मे कभी [illegible] भराव नही रहा, ना ही कभी सिचाई विभाग के काम आई। ना ही पेटा [illegible] जबकि सम्वत 2017—20 से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान [illegible]

Scanned with CamScanner

के राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सायलान की कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिसका सरकारी लगान सायलान अदा करते चले आ रहे है। तहसीलदार हिण्डौन ने मुकदमा न0 320/88 अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट के तहत सायलान के पिता कलुआ के खिलाफ कार्यवाही की थी जिसे तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प. 6(39)राज/14/85/17 जयपुर दिनांक 3.8.87 के द्वारा अप्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल नही किया जा सकता, के निर्देश के साथ धारा 91 की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा बिना किसी आदेश के सायलान के पुख्ता मकान को दिनांक 7.3.13 को तोड दिया गया। जिसके कारण सायलान को काफी नुकसान हुआ है। सायलान को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर पता चला कि सेटलमेंट द्वारा सायलान के कब्जे काश्त की आराजीयात के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजीयात से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एंव वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।। इस प्रकार गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि सालयान के उक्त आराजीयात से बेदखल नही करे तथा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडा है। क्योकि विवादित आराजीयात सिचाई विभाग राजस्थान सरकार की खातेदारी की भूमि है। सिचाई विभाग विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजी पेटा तालाब की भूमि है। जिसमे जल भराव व जल निकासी व जल प्रवाह होता है। सायलान/रेस्पो0 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड मे उक्त सिचाई विभाग की पेटा तालाब की भूमि मे जबरन काश्त करेगे एवं निर्माण करेगे। जिससे अपीलांट के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडेगा। एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा मे नही आता है। क्योकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय कानूनन नही होता है, प्रार्थना पत्र टी आई का आदेश पारित होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित होने बाबत कही भी उल्लेख नही किया [illegible] तर्क संगत,विधि सम्मत एवं स्वस्पष्ट आदेश पारित नही करने से निर्णय अपास्त [illegible] है। [illegible] आराजीयात खसरा0 4813 रकबा 1.25 है0 , 3867 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा तथा [illegible] 3866 रकबा 8 बिस्वा कस्बा हिण्डौन तत्कालीन सेटलमेंट ने बनाये है तथा [illegible] 4811 रकबा 0.67 है0 वाके कस्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हिण्डौन ,साबिक ख0न0 3876 मिन रकबा 7 विस्वा, एवं साबिक ख0न0 3877 मिन रकबा 2 बीघा 5 विस्वा वाके कस्बा हिण्डौन से तत्कालीन सेटलमेंट विभाग ने बनाये है। इस प्रकार सायलान ने साबिक ख0न0 3868 रकबा 8 विस्वा एवं साबिक ख0न0 3876 रकबा 7 विस्वा के बारे मे प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र मे कही भी वर्णन नही किया है। उक्त दोनो आराजीयात को सायलान अपनी खातेदारी की बता रहा है। इस प्रकार सायल साबिक ख0न0 3868 व 3876 के रकबे को बिना आधार पर बिना दस्तावेजी सबूत केक कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सायल का दावा व प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षैत्रफल का अवलोकन नही करके साबिक ख0न0 3868 व 3876 की रकबा भूमि को सम्मिलित करते हुए नवीन ख0न0 4811 व 4813 के सम्पूर्ण रकबे से गेरसायलान को जरिये टी आई पाबन्द करने मे कानूनी भूल की है। सायलान द्वारा साबिक ख0न0 3868 व 3876 की रकबा भूमि के बाबत दावा व प्रार्थना पत्र टी आई मे कोई रिलीफ नही चाहने के बाद भी अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलय के विरूद्व जारी कर दी गई। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। साबिक ख0न0 3867 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा ,ख0न0 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, जिसके नवीन ख0न0 4813 रकबा 1.25 है0 एवं नवीन ख0न0 4811 रकबा 0.66 है0 है। इस प्रकार साबिक ख0न0 3867 व 3877 के कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा के 161/4 ऐयर रकबा होता है यानि नवीन खाते मे रकबा 29/3/4 ऐयर रकबा ज्यादा है। इस ज्यादा रकबे के बाबत सायलान ने प्रार्थना पत्र मे नही बताया है कि यह बडा हुआ रकबा किसकी खातेदारी व कब्जाकाश्त मे है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमियो मे बडे हुए रकबा 29/3/4 ऐयर पर भी गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया है इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। सायलान द्वारा निराधार तथ्यो के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र धूडया उक्त विवादित भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहे है वादग्रस्त भूमि जल भराव की भूमि है जिसकी खातेदारी महकमा जिलेदारी (सिचाई विभाग) के नाम से थी और वर्तमान मे भी उक्त भूमि सिचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त विवादित भूमि जलभराव व जलनिकासी व तालाब पेटा की भूमि है। भू प्रबंधक अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड मे हेराफेरी नही की है ,जलभराव,जलनिकासी ,जलप्रवाह की भूमि तालाब पेटा ,नदी पेटे, पोखर पेटे, झील पेटे आदि की भूमि है सरकारी सिचाई विभाग की भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर सायलान का कभी भी कब्जा नही रहा है और ना ही खातेदारी सायलान के नाम रही है। इन तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। सायलान के बुजुर्ग रूग्गा पुत्र धूडया वादग्रस्त भूमियो का अतिकमी रहा है तथा सायलान भी उक्त भूमि के अतिकमी है। सायलान का उक्त भूमियो से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही रहा है। सायलान स्वयं द्वारा वादग्रस्त भूमियो के अतिकमी होने की पेनल्टी की रसीद किता 14 पेश की है जिससे सिद्व है कि स्टेनजर पर्सन को रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट को पाबन्द नही किया जा सकता। अतिकमी किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। सायलान को दावा व टी आई सरकार के खिलाफ दायर करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विधिवत नोटिस दो माह मियादी दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नही दिया गया है। नोटिस के अभाव मे दावा व प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेवल नही होने से खारिज योग्य है साथ ही प्रार्थना पत्र व दावा मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। उक्त भूमि तालाब पेटे की भूमि है जिसकी खातेदारी सिचाई विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानो के तहत सायलान उक्त विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नही है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया है। जो निरस्त योग्य है। राजस्थान सिचाई तथा जलनिकास अधिनियम 1954 की धारा 55 के अधीन अपराध है। इस प्रकार सायलान ने पेटा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करके दण्डनीय अपराध किया है जिस कानून पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को बैध नही ठहराया जा सकता है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय से सायलान के हौसले बुलंद हो जावेगे और सायलान सरकारी विभाग की भूमि पर जबरन काश्त करेगे एवं अवैध निर्माण करेगे। जिससे अपीलांट के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडेगा। उक्त तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इस लिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। सायलान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर रिहायश करना एडमिट कर रहे है यानि सरकारी भूमि तालाब पेटा की भूमि अवैध निर्माण सायलान ने कर रखा है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस , सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सायलान के पक्ष मे साबित मानकर कानूनी भूल की है। जबकि सिचाई विभाग वादग्रस्त भूमियो का रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे बखूबी सावित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के तहत दावा व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो पाई क्योकि अपीलांट राज्य सरकार की फलेगशिप योजनाओ मे व्यस्त होने के कारण निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी। इस प्रकार जानकारी के अभाव मे जानकारी प्राप्त होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि भूमि साबिक ख0न0 3867 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा तथा ख0न0 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा वाके कस्बा हिण्डौन मे स्थित है। यह भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र [illegible] की भूमि है। उपरोक्त भूमि महकमा जिलेदारी मे थी जो माफिक हुक्म [illegible] 5 माफिक कैफियत निजामत दिनांक 30.3.46 के अनुसार ख0न0 3867 तथा ख0न0 3877 [illegible] की बाबत नजराने पर रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा की खातेदारी मे रही [illegible] जिसका राजस्व रिकार्ड खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गिरदावरी सम्वत 2000,2001,2002 के कॉलम संख्या 8 के अनुसार रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। सायलान के पूर्वज रूग्गा ने नजराना राशि तहसील हिण्डौन मे जमा कराई है। राजस्व रिकार्ड गिरदावरी सम्वत 2012 से 2019 तक मे भी रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा का नाम दर्ज है तथा उससे पूर्व सम्वत 2000,2001,2002 मुताबिक सन 1943 से 1946 मे रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा खातेदार दर्ज है तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2013–16 तथा जमाबंदी सम्वत 2017–20 के अनुसार रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र धूडया निवासी हिण्डौन की खातेदारी मे दर्ज होती चली आ रही है। इस प्रकार विवादित भूमि पर रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा सन 1947 के पूर्व से मुश्तकिल तौर पर खातेदार काश्तकार रहे है। जिस पर रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा ने निर्माण कर रखा है। जिसमे रेस्पो/सायलान अपने पूर्वज रूग्गा के जमाने से रिहायश करते चले आ रहे है। जिसमे रेस्पो/सायलान के नाम से बिजली कनेक्शन भी लगा हुआ है। उक्त आराजीयात पर बन रहे रिहायशी मकानो को अपीलांट सिचाई विभाग द्वारा पुलिस बल के साथ ध्वस्त करने के कारण एवं आराजीयात से बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दिये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे सायल/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत पेनल्टी की रसीद किता 14 के अनुसार सायलान का कब्जा होना माना गया है। तथा जमाबंदी सम्वत 2017 से 2021 के अनुसार विवादित आराजीयात की खातेदारी महकमा इर्रीगेशन(सिचाई विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड नही होना माना गया है। जमाबंदी सम्वत 2013–16 एवं 2017–20 मे रेस्पो/सायलान के पूर्वज रूग्गा पुत्र धूडया जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड होना अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का सम्पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि जमाबंदी सम्वत 2037–40 के अनुसार आराजी साबिक ख0न0 3867 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा एवं 3877 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महकमा इर्रीगेशन(सिचाई विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2021–21 के अनुसार भी उक्त भूमि इर्रीगेशन(सिचाई विभाग) के नाम दर्ज है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत पेनल्टी की रसीद किता 14 के अनुसार भी अपीलांट को भूमि पर अतिकमी माना गया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जो कि सरकार के विरूद्व पेश किया गया था जिसमे कानून प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व धारा 80 [illegible] दो माह मियादी दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नही दिया गया है। नोटि[illegible] के [illegible] मे प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेवल नही होने से ही खारिज योग्य था [illegible] न्यायालय द्वार गौर नही किया गया है। भूमि वर्तमान जमाबंदी [illegible] कस्बा हिण्डौन मे आराजीयात ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

Scanned with CamScanner

4811 व 4813 की किस्म पेटा तालाबी भूमि दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के नाम दर्ज होने से प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे बखूबी साबित होता है। अपीलांट की भूमि पर सायलान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने से अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मे तीनो बिन्दु अपीलांट के पक्ष मे बखूबी साबित होने से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के प्रकरण संख्या 14/15 मे पारित निर्णय दिनांक 12.8.22 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner